

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 20-05-2016

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce**, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature



(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

जिलाधिकारी

चमोली

Government of Uttarakhand
Office of the District Magistrate : Chamoli

No. :-

Dated :- 20-05-2014


TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MOEF), Government of India's letter No- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Reorganization of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 3.97 Hect of forest land proposed to be diverted I favor of PWD Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Pakhi-Hyuna-Pokhani-Lanzi-Dwing Motor Road. C.M. Announce**, Length 8.90 Km Under PWD Gopeshwar (purpose for diversion of forest land) in Chamoli District falls within jurisdiction of Chamoli Tehsils.

It is further Certified that :

SN		Remark
(A)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 3.97 Hect of civil area proposed for diversion. A copy of records of all constructions and meetings of the forest right committee(s) and District level committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(B)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
(C)	The proposed does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Signature


(Vinod Kumar Suman)
(District Magistrate Chamoli)

बिलाधिकारी
चमोली

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जोशीमठ

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति चमोली

उपखण्ड चमोली के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.97 हे. सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जान हेतु अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपरोक्त खण्ड स्तरीय समिति तहसील चमोली की दि. 10.3.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डीय वनाधिकार समिति की बैठक उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में मा. सदस्यों की उपस्थिति में निम्नानुसार है:-

- | | | |
|---------------------------------|---|---------|
| 1- श्री <u>अनूप कुमार नीरखर</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>विजय प्रसाद खोटा</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>मती कान्हो देवी</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी, वी.डी.सी. जोशीमठ | सदस्य |
| 4- श्री <u>मती कान्हो देवी</u> | सदस्य | सदस्य |

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में टी0 एस0 पी0 राज्य योजना के अन्तर्गत ग्राम जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वींग मोटर मार्ग निर्माण हेतु हे. वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु मा. सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पाति प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं तत् सम्बन्धित नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से मा. सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जाती है।

उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष
बोर्डर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
सदस्य/सचिव जोशीमठ

वी.डी.सी. जोशीमठ

उप जिलाधिकारी
अध्यक्ष
बोर्डर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सदस्य

परियोजना का नाम : जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूण-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र


जनपद चमोली के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूण-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3:97... हे0 वन भूमि हस्तान्तरण हेतु 7:9.4 हे0 सिविल वन भूमि को लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रत्यावर्तित करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसमें उनके द्वारा वनाधिकार 2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा है।

उक्त प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम पंचायती की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह की वनाधिकार अधिनियम 2006 प्राविधानों के तहत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है। एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं। नहीं किसी आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी समुदाय का कब्जा/कृषि कार्य है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभाओं द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि उक्त वन भूमि 3:97... हे0 सिविल भूमि को प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने हेतु कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम सभाओं की बैठक की उपस्थिति संलग्न है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

हस्ताक्षर प्रधान



कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूणा-पोखनी-लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 7/1/2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	देवेन्द्र सिंह	देवेन्द्र सिंह
2	पूजा सिंह	पूजा सिंह
3	बलवन्त सिंह	बलवन्त सिंह
4	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
5	वीरेंद्र सिंह	वीरेंद्र सिंह
6	प्रेम सिंह	Birendra
7	देवनाथ सिंह	देवनाथ सिंह
8	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
9	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
10	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
11	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
12	भादुरा सिंह	भादुरा सिंह
13	बाद्री सिंह	बाद्री सिंह
14	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
15	रविशंकर सिंह	रविशंकर सिंह
16	रविशंकर सिंह	रविशंकर सिंह
17	रविशंकर सिंह	रविशंकर सिंह
18	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
19	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
20	रघुवीर सिंह	रघुवीर सिंह
21	चन्दन सिंह	चन्दन सिंह
22	दिनेश सिंह	दिनेश सिंह
(23)	आशीष सिंह	Ashish Singh
(24)	रमेश सिंह	Ramesh Singh
25	राजेश सिंह	राजेश सिंह
26	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
27	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
28	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
29	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
30	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
31	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह
32	वरदास सिंह	वरदास सिंह
33	विष्णु सिंह	विष्णु सिंह

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूना-पोखनी-लांजी से द्वीग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 7/11/2015 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित हुये

क्रम संख्या	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
33	दामोदर पुराद	दामोदर
34	रामचन्द्र सिंह	रामचन्द्र
35	चुगाप सिंह	चुगाप सिंह
36	शिवदास सिंह	शिवदास सिंह
37	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
38	चुरली सिंह	महमोद सिंह
39	बबिता देवी	Babita Devi
40	अंजली देवी	अंजली देवी
41	लक्ष्मी देवी	सीमा देवी
42	सीमा देवी	सीमा देवी
43	Laxmi	Laxmi
44	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
45	दीक्षा सिंह	दीक्षा सिंह
46	जगत सिंह	जगत सिंह
47	सुकुमल देवी	सुकुमल देवी
48	दिनेश सिंह	दिनेश
49	केदार सिंह	केदार
50	राजे-दीप सिंह	राजे-दीप
51	रीना देवी	रीना देवी
52	रमा देवी	Rama
53	गणपत सिंह	Ganapati
54	गबल सिंह	गबल सिंह
55	राजेश सिंह	राजेश सिंह
56	कुंवर सिंह	कुंवर सिंह
57	हरमान सिंह-पवार	हरमान सिंह
58	गुणक सिंह-पवार	गुणक सिंह
59	बारवी देवी	बारवी देवी
60	शिव सिंह	शिव सिंह
61	पद्मा भण्डारी	पद्मा
62	विजय बाल	विजय
63	सूरज भण्डारी	Suraj Bhandari

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विकास खण्ड जोशीमठ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत पाखी-हयूण-पोखनी-लांजी से द्वींग तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

दिनांक 07-01-15 को ग्राम सभा की बैठक सम्पन्न हुई बैठक में निम्न लिखित सदस्य


हस्ताक्षर

उपस्थित हुये

प्रधान ग्राम सचिव पोखरी
ह.०
दि. ०७-०१
वि.स.० जोशी १०

प्रमाणित किया जाता है कि जिनपद-चमोली के
 विकास खण्ड जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत न्याप पंचायत
 मुख्या ग्राम डीगे-तपोन के अन्तर्गत ग्राम पारवी-ड्यूणा-
 पोरवनी-लौली से हीन तक मोटर मार्ग है 10.00 कि.मी.
 लो. मि. वि. पालीप खण्ड जोशीमठ द्वारा निर्माण की
 जाने वाली मोटर सड़क जिसकी चौ. 6 मी. है पर
 प्रभावित नाप भूमि वृक्षों के पातन पर हम समस्त
 ग्राम वासी ग्राम, लौली, पोरवनी, ड्यूणा को कोई
 आपत्ति नहीं है और उक्त प्रभावित वृक्षों का
 पातन कर उपयोग हम समस्त कालकाह स्वयं
 करेंगे और उक्त प्रभावित वृक्षों का पातन होने वाले वृक्षों
 का किसी प्रकार का मुवाजा भी नहीं लेना-चाहते हैं
 और नही मुवाजा प्राप्त होने कोई दावोपेश करेंगे,

हम ग्राम प्रधान



सदस्य का. हि. देवी
 क्षेत्र पंचायत पालीप
 विकास खण्ड जोशीमठ
 वि. ख. 0 - जोशीमठ (च. मी.)
 वि. ख. 0 - जोशीमठ (चमोली)

प्रमाणित

रजिस्ट्रार

मादी देवी

नहिला मंगल दल लाली
 पो. चमोली उत्तरांचल

समस्त ग्रामवासी/काल

ग्राम - लौली, पोरवनी, ड्यूणा
 पं. वृ. - लेख
 तहसील - जोशीमठ

Signature
 B. S. Chandra
 लाला चन्द्र
 07/01/20

ह. न. र. व. री. देवी

पो. चमोली क्षेत्र - जोशीमठ (चमोली)

६० समस्त ग्राम वाली,
लौंछी, पोखरी, ह्यूपणा,


मी. वी. नं.
Surya Bhandary
फिरोज शाहिद
शेकस गैरुद
जैव सिद्ध
सद्वीप मण्डारी

[illegible]

(1)

अनापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पारवी ह्यूना पोखरी व छेड़ तक प्रस्तावित मोटर मार्ग 10 क्म. x 7 मी. के खुरी से 1/3 से 1/2 तक प्रभावित वन भूमि एवं नाप भूमि पर ग्राम पेन्चापत पारवी के कारस्तकारों व ग्राम पेन्चापत एवं कसोच्च वन पेन्चापत को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं है तथा अधिव्य में विभाग द्वारा जो भी मुतासला सरकारी दफ्तर पर दिया जाना उचित होगा व ग्रामीणों व कारस्तकारों को स्वीकार होगा. तथा मुतासला मुस्तान कारस्तकारों को कठज खड्डा व हिलसा महुवार दिसका रैवत होगा को किया जाय तथा निर्माण होने वाले मोटर मार्ग पर नव निर्माण कार्य कर ग्रामीण वैरोजगारों को प्राथमिकता दिया जाय तथा जो नाप भूमि निर्माण कार्य में प्रभु आदि से देंगी व हति ग्राह्य होगी का भी ग्रामीण कारस्तकारों को देना होगा इन्ही शर्तों को क अग्रे रख कर ग्रामीणों द्वारा अनापति प्रमाण पत्र के शर्तों में लोड मि. वि. को मान्य करना होगा. अनापति प्रमाण पत्र वेबक में दखनीमत से जारी कर लोड मि. वि. जालीपखत जोषेश्वर उपपालय जोशीमठ को अग्रिम कार्यवाही हेतु ज्ञेय



व. वन मंत्रालय पारवी
विभा. जिला दवाय के
यह आ. म. दे. र. है।

